न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 10 / 2025	2025 / 46	21.03.2025	22.12.2025

01– रामकेदार पुत्र प्रभूदयाल मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज. (मृतक)

1 / 1–मनोज पुत्र रामकेदार उम्र करीब 40 साल, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज. –प्रार्थी

बनाम

01– केशराम पुत्र सोमोत्या मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

02– मुकेश पुत्र सोमोत्या मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

03– मुथरी पत्नी सोमोत्या मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

04– सुरेश पुत्र सोमोत्या मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

05– विजय सिंह पुत्र सोमोत्या मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

06 कमोल देवी पत्नी रामसिंह मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

07– केशर पत्नी गोपेश कुमार मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

08– मुकेश पुत्र गोपेश कुमार मीना, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

09 राजेश पुत्र गोपेश कुमार मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

10– किस्तुरी पत्नी जगन मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

11– गोपाल पुत्र प्रभूदयाल मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

12– झब्बू पुत्र प्रभूदयाल मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

13– रामसिंह पुत्र प्रभूदयाल मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

14– जगराम पुत्र जगना मीना, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

15– शिवराम पुत्र जगना मीना, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

16– जानकी देवी पत्नी बच्छराज मीना, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

17 प्रेमदेवी पत्नी अमर सिंह मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

18– बलराम पुत्र रमेश मीना, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

19 / मोहर बाई पत्नी झब्बुराम मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

20– बाबूलाल पुत्र किशोरी लाल मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

21– सीताराम पुत्र किशोरी लाल मीना निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

22– तहसीलदार साहब एवं उप पंजियक महोदय रैणी जिला अलवर असल अप्रार्थीगण राज.

1/2– टिकुराम पुत्र रामकेदार उम्र करीब 32 साल, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

1/3– अजीत पुत्र रामकेदार उम्र करीब 30 साल, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

1/4– कविता पुत्री रामकेदार पत्नी घनश्याम उम्र करीब 36 साल, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज. हाल निवासी सुरेर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राज.

1/5– निर्मला पुत्री रामकेदार पत्नी मुकेश चन्द मीना उम्र करीब 45 साल, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज. हाल निवासी उकरून्द तहसील महवा जिला दौसा राज.

1/6– कल्पना पुत्री रामकेदार पत्नी मुकेश उम्र करीब 38 साल, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज. हाल निवासी बबेली, तहसील रैणी, जिला अलवर राज.

1/7– रीना पुत्री रामकेदार पत्नी वेधप्रकाश उम्र करीब 34 साल, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज हाल निवासी लालपुर तहसील महवा जिला दौसा राज.

1/8– गंगा देवी पत्नी रामकेदार उम्र करीब 62 साल, निवासी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज.

अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

–:: प्रार्थना–पत्र मुंतकिल ::–

उपस्थितः–

01– श्री अजीत कुमार –वकील प्रार्थी

02– श्री ओमानन्द चौधरी –वकील अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी के प्रकरण बउनवान रामकेदार बनाम केशराम वगे0 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर में विचाराधीन था जिसमें विगत तारीख पेशी 19.03.2025 नियत थी। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

पीठासीन अधिकारी महोदय वाद का निर्णय अप्रार्थीगण के पक्ष में करने पर आमदा है। पीठासीन अधिकारी महोदय पर अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अत्यन्त ही दबाव बनवा रखा है उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी महोदय पर राजनेतिक दबाव बना रखा है साथ ही धन, बल का भी उपयोग कर रहे है जिसके तहत ही पीठासीन अधिकारी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

महोदय सारी कार्यवाही कर रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा है कि आगामी पेशी को प्रार्थी के विरूद्ध किसी न किसी प्रकार का कोई आदेश जरूर पारित कर देंगें। अप्रार्थी की पीठासीन अधिकारी महोदय से साठ गाठ हो चुकी है। इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय की कतई उम्मीद नही है। इसलिए प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है।

पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा सारी कार्यवाही अप्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण को आनन फानन में अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसला करने पर आमादा है जबकि उनके समक्ष अन्य दावो की सुनवाई नही कर रहे है और उक्त दावा में रूची दिखाते हुये छोटी–छोटी तारीख पेशीया नियत कर उक्त दावा का निस्तारण अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है यदि उनके द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया तो प्रार्थी का न्याय से विश्वास उठ जायेगा। अप्रार्थीगण द्वारा अपने धन–बल के आधार पर पीठासीन अधिकारी महोदय को अपने प्रभाव में ले रखा है इसलिए पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित करने पर आमदा है। अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थी को कह दिया कि चाहे तुम कुछ भी कर लो दावा का निर्णय तो हमारे पक्ष में ही होगा तथा पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा की जा रही सारी कार्यवाही भी साबित करती है कि अप्रार्थीगण से उनकी साठ गाठ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है इसलिए प्रकरण को अन्यत्र किसी सखम न्यायालय में मुंन्तकिल किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। उक्त उनवानी प्रकरण में वादी का स्वर्गवास हो जाने पर वादी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने से पूर्व ही दावे के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए अधिनस्थ अदालत आमादा है जिससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी महोदय से अप्रार्थीगण मिले हुये है ओर मिन प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में फैसला करवाने पर आमादा है जिसकी अप्रार्थीगण ऐलानिया दहशत व धमकी भी दे रहे है जिससे यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। न्याय का मूलभूत सिद्धान्त है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए अपितू किया हुआ सा प्रतीत भी होना चाहिए इस दृष्टिकोण से भी पीठासीन अधिकारी महोदय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है जिससे प्रार्थी के साथ उचित न्याय हो सके।

अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी महोदय रैणी जिला अलवर उनवानी रामकेदार बनाम केशराम वगैराह को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि मुकदमा बअनुवान रामकेदार वादी (बनाम) केशराम वगै0 प्रतिवादीगण दावा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकसीम आराजी वो स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर राजस्थान हैं, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 19–03–2025 नियत हैं। जिमन नंबर 02 में प्रार्थीगण के कथन असत्य है। अप्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। पीठासीन अधिकारी से कोई सांठ–गांठ नहीं है। पीठासीन अधिकारी नियमानुसार सुनवाई कर रहे है। जिमन नंबर 03 अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण अनावश्यक वाद को लंबित करना चाहते है। जिमन नंबर 04 अस्वीकार है अप्रार्थीगण के द्वारा कोई धन–बल का प्रयोग नहीं किया गया है ना ही पीठासीन अधिकारी को अपने पक्ष में निर्णय करने के संबंध में संपर्क किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद। जिमन नंबर 05 असत्य है अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से नहीं मिले हुए है बल्कि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखना चाहते है। पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दर्ज होने से पूर्व दिनांक 19.03.2025 को ही स्थगन प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट का निस्तारण कर दिया गया है। बेवजह से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। जिमन नंबर 06 अस्वीकार व बेबुनियाद है प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मुन्तकिल दर्ज होने से पूर्व ही पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन का निर्णय कर दिया गया तो प्रार्थना पत्र मुन्तकिल प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि उक्त उनवानी प्रकरण मुकदमा नंबर 01/96/24 बउनवान रामकेदार बनाम केशराम वगै0 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए बेबुनियाद बताया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जा रही है। मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियम से पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन 212 आरटी एक्ट पर उभयपक्ष को सुनकर नियमानुसार दिनांक 19.03.2025 को विधिसम्मत निर्णय किया जा चुका है तथापि उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति/एतराज नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

डॉ. आर्तिका शुक्ला
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)